न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–

परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
27 / 2017 / प्रा.पत्र / 2017	24.03.2017	20.07.2022

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1–खाद्यकारोबारकर्ता श्री गौरव सैनी पुत्र श्री नवरतन सैनी जाति सैनी निवासी मोदी की चौकी टोंक जिला टोंक मैसर्स सोनेट फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर्स शिव मंदिर के पास मेहन्दीबाग टोंक जिला टोंक

2– मैसर्स सोनेट फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर्स शिव मंदिर के पास मेहन्दीबाग टोंक जिला टोंक

3–श्री जयराज सिंह निवासी पी–20, जगन्नाथ पुरी, मूछ की पीपली, गोनेर रोड जयपुर प्रोपरायटर मेसर्स जी. एम. फार्मा प्लॉट नं. 112 ए, श्याम वाटिका, सुमेल आगरा रोड, जयपुर

4–मेसर्स जी. एम. फार्मा प्लॉट नं. 112 ए, श्याम वाटिका, सुमेल आगरा रोड, जयपुर

5–श्रीमति कमल दुआ प्रोपरायटर मैसर्स कमल फार्मा 2 / 7 मालवीया नगर जयपुर राज.

6– मैसर्स कमल फार्मा 2 / 7 मालवीया नगर जयपुर राज.

7–श्री कुशाग्र अग्रवाल पुत्र श्री मनोज अग्रवाल निवासी 16 अग्रसेन कॉलोनी, ब्रह्मपुरी खुर्रा, जयपुर प्रोपरायटर मैसर्स पिंकसिटी फार्मास्यूटिकल्स 2 / 7 मालवीया नगर जयपुर राज.

8– मैसर्स पिंकसिटी फार्मास्यूटिकल्स 2 / 7 मालवीया नगर जयपुर राज.

...... अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उपधारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार उप.।

2–अप्रार्थी सं. 1 व 2 स्वयं तथा अप्रार्थी सं. 3,4 व 7,8 के प्रतिनिध उप.।

:–निर्णय–: **दिनांक 20.07.2022**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 16.09.2016 को समय 05:30 पी.एम. पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स सोनेट फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर्स शिव मंदिर के पास मेहन्दीबाग टोंक जिला टोंक पर पहुंचा। वहां श्री गौरव सैनी पुत्र श्री नवरतन सैनी उपस्थित मिला को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री गौरव सैनी ने स्वयं को मैसर्स सोनेट फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर्स शिव मंदिर के पास मेहन्दीबाग टोंक जिला टोंक का विक्रेता होना स्वीकार किया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में फूड सप्लीमेंट के साथ–साथ दुकान की रैक में लगभग 42 मूल पैक प्रत्येक 200 मिलीग्राम पैक के **फूड सप्लीमेंट लाईकोजम सिरप (Food Supplement**

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Lycogem Syrup) रखा हुआ था जिसे देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अंदेशा होने पर विक्रेता श्री गौरव सैनी को गवाह के सामने फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर, विक्रेता को सूचित कर दो प्रतियों में विक्रेता श्री गौरव सैनी व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **फूड सप्लीमेंट लाईकोजम सिरप (Food Supplement Lycogem Syrup)** जिसके बैच नम्बर पी.एल. 186 एवं पैकिंग की दिनांक जुलाई 2016 थी, वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा हैं, 200 मिलीग्राम पैक के 12 मूल पैक खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद रूपये देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक ने खरीदशुदा **फूड सप्लीमेंट लाईकोजम सिरप(Food Supplement Lycogem Syrup)** 200 मिलीग्राम पैक के 12 मूल को तीन–तीन नग के बराबर–बराबर चार भाग तैयार कर एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक I–1425 अंकित किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया एवं चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–1425 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

श्री गौरव सैनी पुत्र श्री नवरतन सैनी जाति सैनी मैसर्स सोनेट फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर्स शिव मंदिर के पास मेहन्दीबाग टोंक जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी मेसर्स जी. एम. फार्मा प्लॉट नं. 112 ए, श्याम वाटिका, सुमेल आगरा रोड, जयपुर का बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त **फूड सप्लीमेंट लाईकोजम सिरप (Food Supplement Lycogem Syrup)** क्रय करना बताया।

आवेदक द्वारा मेसर्स जी. एम. फार्मा प्लॉट नं. 112 ए, श्याम वाटिका, सुमेल आगरा रोड, जयपुर से पत्र व्यवहार कर आवश्यक दस्तावेज चाहे गये जिसके प्रतिउत्तर में उक्त फर्म के व्यवहारी ने अपनी फर्म का ड्रग लाईसेन्स, फार्म बी एवं वैट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की प्रति एवं बतौर वारन्टी मेसर्स कमल फार्मा 2/7 मालवीया नगर जयपुर राज. का बिल प्रेषित किया। आवेदक ने मेसर्स कमल फार्मा 2/7 मालवीया नगर जयपुर राज. को पत्र प्रेषित कर आवश्यक दस्तावेज चाहे जिसके प्रतिउत्तर में उक्त फर्म के व्यवहारी ने अपनी फर्म के लाईसेन्स एवं वैट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की प्रति एवं बतौर वारन्टी मेसर्स पिंकसिटी फार्मास्यूटिकल्स 2/7 मालवीया नगर जयपुर राज. का खरीद बिल प्रेषित कर उपरोक्त सिरप क्रय करना बताया। आवेदक ने मैसर्स पिंकसिटी फार्मास्यूटिकल्स 2/7 मालवीया नगर जयपुर राज. को से पत्र व्यवहार कर आवश्यक दस्तावेज चाहे गये जिसके प्रतिउत्तर में उक्त फर्म के व्यवहारी ने अपनी फर्म का ड्रग लाईसेन्स, फार्म बी एवं वैट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की प्रति व प्रोपरायटर श्री कुशाग्र अग्रवाल का लाईसेन्स की छायाप्रति प्रेषित की।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए. / 16 / 5108 दिनांक 21.11.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्यविश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0 / 2791 / एक्ट / 2016 / 463 दिनांक 14.10.2016 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **फूड सप्लीमेंट लाईकोजम सिरप (Food Supplement Lycogem Syrup)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(c)(i) के अनुसार **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का **फूड सप्लीमेंट लाईकोजम सिरप (Food Supplement Lycogem Syrup)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 (सहपठित धारा 49) में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 15.03.2019 को अप्रार्थी सं. 5 ता. 8 की ओर से श्री राजेन्द्र शर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश कर जवाब हेतु समय चाहा परन्तु कई अवसर देने के बावजूद भी अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया गया। आज अप्रार्थी सं. 1 व 2 स्वयं तथा अप्रार्थी सं. 3,4 व 7,8 के प्रतिनिधि न्यायालय हाजा में उपस्थित हुए एवं बहस की। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **फूड सप्लीमेंट लाईकोजम सिरप (Food Supplement Lycogem Syrup)**का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है,इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस एवं जवाब पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **फूड सप्लीमेंट लाईकोजम सिरप (Food Supplement Lycogem Syrup)**का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 व 2 पर कुल शास्ति रूपये 60,000 / – (अक्षरे साठ हजार रू0), अप्रार्थी सं. 3 व 4 पर कुल शास्ति रूपये 1,20,000 / –(अक्षरे एक लाख बीस हजार रूपये), अप्रार्थी सं. 5 व 6 पर कुल शास्ति रूपये 1,80,000 / –(अक्षरे एक लाख अस्सी हजार रूपये) तथा अप्रार्थी सं. 7 व 8 पर कुल शास्ति रूपये 3,00,000 / –(अक्षरे तीन लाख रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 20.07.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.07.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक